राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1839,1840,1841,1842 एवं 1843/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स आदित्य ब्रेक डाउन सर्विस, जयपुर बनाम् स.वा.क.अ.,प्रतिकरापवचंन राजस्थान, घट–तृतीय, वृत्त–द्वितीय, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2014	खण्डपीठ श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री डी.कुमार, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये पांच अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी– प्रथम,वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक स्थगन आदेश दिनांक 28.08.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन,घट तृतीय, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.06.2014, जो अधिनियम की धारा 24 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 के नियम 35 के तहत् निर्धारण वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 के लिये पारित किये गये हैं, में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान निम्न तालिका में अंकित राशियों पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई :–	

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन हेतु आवेदन राशि
1839/14	8,53,631/–	7,75,570/–	78,061/–
1840/14	9,65,461/–	8,71,540/–	93,921/–
1841/14	8,45,310/–	7,37,875/–	1,07,435/–
1842/14	8,62,202/–	7,52,770/–	1,09,432/–
1843/14	10,04,228/–	8,94,790/–	1,09,438/–

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश व अन्य बनाम् राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. 126 एस.टी.सी. 114 में

प्रतिपादित विधि के आलोक में, "केन्स" की सुपुर्दगी व प्रभावी नियंत्रण हायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में अन्तरित नहीं हुआ है । इस संबंध में सुपुर्दगी व प्रभावी नियंत्रण अपीलार्थी व्यवहारी के पास ही रहा है, जिसके अभाव में माल के उपयोग के अधिकार का अन्तरण नहीं हुआ है। इस संबंध में "हायरिंग" अनुबंध की शर्तों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि माननीय देहली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत कमिश्नर वैट ट्रेड टैक्सेज डिपार्टमेंट बनाम् इन्टरनेशनल ट्रेवल हाऊस लि., **25 वी.एस.टी. 563** में प्रतिपादित विधि के आलोक में भी अपीलार्थी व्यवहारी चूंकि सेवा प्रदाता है तथा हस्तगत प्रकरण में सेवा मूल्य व वस्तु मूल्य का पृथक्कीकरण करना प्रकट नहीं है । अतः ऊपर वर्णित माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि व माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील क्रमांक 2444/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 28.11.2011 समान बिन्दुओं पर बकाया मांग वसूली पर रोक लगायी गयी है। इसी प्रकार, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा भी अपीलार्थी व्यवहारी के ही पूर्व में निर्णित अपील प्रकरणों संख्या 373, 374, 375, 376 व 377/2012/जयपुर, निर्णय दिनांक 13.03.2012 के जरिये समान बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गयी मांग राशियों की वसूली पर रोक लगायी जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी को राहत प्रदान की गयी है । अतः ऐसी स्थिति में, प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, बकाया मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया गया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हस्तगत प्रकरणों में "केन्स" हायर करने के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये हायर चार्जेज पर विक्रय होने के कारण, कर दायित्व उत्पन्न होने अथवा नहीं होने तथा माल के उपयोग के अधिकार का अन्तरण होने अथवा नहीं होने के सारभूत विधिक बिन्दु अन्तर्वलित है, अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष